राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 तेरहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छब्बीसवां दिवस संख्या 14

शुक्रवार,

19 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन में बहुमत के निर्णय के आधार पर माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को निलम्बित किया गया था। अब वह अजनबी के रूप में यहां न रहें। कृपया यहां से पधार जाएं।

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोर-शराबा)

मैं भाजपा के उप नेता महोदय से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने के लिए उक्त माननीय राजेन्द्र राठौड़ को बाहर जाने का निर्देश दें। भाजपा के उप नेता महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अजनबी के रूप में माननीय राजेन्द्र राठौड़ को यहां से चले जाने के लिए वह निर्देश दें।

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

मुझे विवश होकर सदन के निर्णय की पालना कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही को मजबूर होना पड़ेगा। मेरा पुन: निवेदन है कि कृपया अजनबी के रूप में कोई सदस्य इस सदन में न बिराजें। मुझे मजबूर होकर कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अजनबी के रूप में कोई माननीय सदस्य यहां न बिराजें।...(व्यवधान)... बाहर निकालो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं भारी शोर-शराबा)

श्री भवानी सिंह राजावत। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्री रामहेत सिंह। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्री केसाराम चौधरी। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्री वासुदेव देवनानी। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्री दौलतराज नायक।

तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

225. श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रीको द्वारा वर्ष 2001 से जनवरी, 2010 तकम औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर में कषि आधारित उद्योग विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): (1) रीको द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में एक औद्योगिक क्षेत्र रायसिंह नगर वर्ष 2000-01 में स्थापित कर भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसे विकसित करने पर 31.12.09 तक 165.69 लाख रुपये व्यय हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 138 भूखण्ड नियोजित हैं जिनमें से 105 भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।

(2) रीको द्वारा श्री गंगानगर में स्थित उद्योक विहार में कषि आधारित उद्योगों कोच प्रोत्साहन देने हेतु विशेष रूप से एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है जिसमें कृषि एवं प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्योगों को भूखण्ड़ों का आवंटन किया गया है। उक्त एग्रो फूड पार्क के अतिरिक्त उद्योग विहार क्षेत्र के विस्तार हेतु 81.11 एकड़ भूमि अवाप्ताधीन है जिसमें अन्य उद्योगों के अलावा कृषि आधारित उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे।

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड एक में जबाव दिया है कि 105 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। कपया 105 भूखण्ड जो आवंटित किये गये हैं, उनकी सूची बतावें। 105 भूखण्ड़ों की सूची।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, 105 भूखण्डों की सूची भिजवा दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण

227. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में जनवरी, 2004 से 2009 तक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल कितनी सड़कें निर्मित एवं नवीनीकृत/मरम्मत की गई और उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एक भी सड़क का निर्माण/नवीनीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सड़कों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी समिति क्षेत्र में वर्ष 2009 में विकास हेतु कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये तथा सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.05 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

Msr/usc/1200/1g/19032010

(12.05 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। आप थोड़ा चेयर से नीचे, चेयर से नीचे, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह जो सारा घटनाक्रम चला है ...(व्यवधान)... मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा सदन के वैल में आमरण अनशन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कोई पहले हाउस को आर्डर में लो, उसके बाद कोई बात है। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, किस बात पर दी जा रही है? ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): किन नियमों में बोल रहे हैं? आपने इजाजत दी है क्या? ...(व्यवधान)... किस बात पर बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... आप हाउस को पहले आर्डर में लाइये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजो, विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): किस बात पर दी जा रही है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजो तो सही। सचेतक महोदय हैं न बोलने वाले, आप तो विराजो ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सदन के समक्ष विषय मौजूद है ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह किन नियमों में बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, नहीं बोलने दिया जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापतिः आप विराजो तो सही।

एक माननीय सदस्य: नियमों की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजो तो सही। आप विराजो, आप विराजो। ...(व्यवधान)... विराजो तो सही। आप विराजो। ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): उनको बाहर निकाल दीजिए सदन के उसके बाद में कार्यवाही चलनी चाहिए, फिर हम बैठ जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। आप तो उधर पधारो, आप तो उधर जाओ न। बैठे हैं न तिवाड़ीजी। ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): +++ है क्या, सभापति महोदय ...(व्यवधान)... क्या है, सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पहले बाहर निकालो उसके बाद में कोई कार्यवाही चालू हो। ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): +++ समझ रखा है बी.जे.पी. के लोगों ने, +++ बना रखा है यह हाउस को ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सदन को हंसी का पात्र नहीं बनाया जाय ...(व्यवधान)... राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः उप नेता महोदय ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): राजस्थान की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है और यहां +++ कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): हम चाहते हैं कि पहले निलम्बित सदस्य को बाहर निकाला जाए उसके बाद में कोई कार्यवाही चले ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, विपक्ष की बात सुनिये ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मेरा निवेदन है श्री राजेन्द्रजी राठौड़ से, चूंकि सदन उनको निष्कासित किया हुआ फैसला किया है इसलिए वे सदन से बाहर चले जाएं ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री बृजकिशोर शर्मा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा -35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री प्रकाश चन्द चौधरी।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (क्र.सं. 1)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्स सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2009-2010 वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, सिंचित क्षेत्रीय विकास, वक्फ, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सहकारिता, राजस्व, खनिज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयुर्वेद, परिवहन, शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि विपणन, प्रारम्भिक शिक्षा, वन, उच्च शिक्षा, इंदिरा गांधी नहर, आयोजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, भू-संरक्षण, कृषि, कार्मिक, सहायता व सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो।

Ars/usc/1210/1h/19032010/1

माननीय सदस्य, विराजो, विराजो, विराजो। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम, श्री बाबूसिंह राठौड़, श्री हरिसिंह रावत, श्री बाबूलाल बैरवा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण(महिला बाल कल्याण सहित) की प्रस्तुति

श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,39,09,96,000 (सोलह अरब उनतालीस करोड़ नौ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

मांग संख्या 7 - निर्वाचन की प्रस्तुति

श्री सभापति: श्री अशोक बैरवा।श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-7- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,36,94,000/- (तीस करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: मैं नाम पुकारूं वही अंकित हो, बाकी और कोई चीज अंकित मत करिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल।

मांग संख्या 33 व 7 पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के बाबत अपना रिप्लाई टेबल करके आपसे निवेदन करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाए।

(सदन पटल पर रखे गये जवाब के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में निरन्तर नारेबाजी)

श्री सभापति: विराजो, आप विराजो, आप विराजो। श्री अशोक बैरवा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-7- निर्वाचन के बाबत अपनी रिप्लाई को टेबल करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मांग को पारित किया जाए।

(सदन पटल पर रखे गये जवाब के लिए परिशिष्ट 2 देखें)

मांग संख्या 33 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,39,09,000/- (सोलह अरब उनतालीस करोड़ नौ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 7- निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,36,94,000/- (तीस करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.13 बजे
दिनांक 22 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

अनुदान की मांग संख्या-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (महिला बाल कल्याण सहित) के संबंध में माननीय मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) का सदन पटल पर रखा गया जवाब

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निराश्रित, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध एवं निःशक्तों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जैसे :- शैक्षणिक विकास के अन्तर्गत विद्यार्थियों हेतु छात्रावास सुविधा, छात्रवृति सुविधाएं एवं कुशाग्र बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु अनुप्रति योजना। सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धजनों, विधवाओं एवं निःशक्तजनों को पेंशन (केन्द्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाएं) समस्त बी.पी.एल. परिवारों का बीमा (जनश्री बीमा योजना) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक उन्नयन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

समाज के इन गरीब एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याण हेतु सरकार कृत-संकल्प है और इनके विकास के लिये अधिकाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। इनके विकास हेतु वर्ष 2003-04 में रूपये 266 करोड़ 61 लाख राषि व्यय की गई थी, जबकि वर्तमान में (वर्ष 2009-10) के अन्तर्गत रूपये 1052 करोड़ 48 लाख से भी अधिक राशि का संशोधित प्रावधान रखा गया है, जो लगभग 3 गुना है।

<u>छात्रावास योजना</u>

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यालय स्तर के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये विद्यालय स्तरीय 704 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। छात्रावास में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी, शिक्षण-प्रशिक्षण, खेलकूद एवं कठिन विषयों हेतु विशेष कोचिंग, कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु 7 छात्रावास भी संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों का लाभ 26 हजार से भी अधिक छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि किराये के भवनों के बजाय राजकीय भवनों में छात्रावास संचालन कराया जाये इस हेतु वर्तमान में 129 छात्रावासों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।
- राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर

मासिक दरों में वृद्धि की गई है। जिसमें वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत रूपये 450 से बढाकर रूपये 675 किये गये थे, उसके पश्चात् वर्ष 2006-07 से रूपये 675 से बढाकर रूपये 725 किये गये एवं वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत उक्त दरों को रूपये 725 से बढाकर रूपये 1000/- किया गया है, जो मैस भत्तों में अब तक की सर्वाधिक बढोतरी है।

• राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन कर मरम्मत कार्य हेतु 10,000 रुपये के स्थान पर 25,000 हजार रुपये की शक्तियों में वृद्धि की गई है।

छात्रावासों की गुणवत्ता में सुधार

राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों में बिस्तर, बर्तन, तख्त/पलंग आदि क्रय करने तथा प्रतिस्थापित करने हेतु वर्ष 2009-10 में 65.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों में उपयोग ली जाने वाली वस्तुओं की निर्धारित न्यूनतम उपयोग में लेने की अवधि में वर्ष 2009-10 से शिथिलता प्रदान की है।

आगामी वर्ष में 41 शहरी छात्रावासों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 किया जाना तथा 11 तहसील मुख्यालयों पर नवीन छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में एक छात्रावास की स्थापना आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

<u>छात्रवृत्ति योजनाएं</u>

• राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाऐं संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं से विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को अपना अध्ययन पूर्ण करने में वित्तीय मदद मिलती है। पूर्व मैट्रिक स्तर की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मैट्रिकोत्तर छात्रवृति नियमों के अनुसार 10 जमा 2 योजना, कॉलेज स्तर एवं उससे उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों में यह छात्रवृति अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को दी जाती रही है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति के लिये एक लाख रूपये, अनुसूचित जनजाति के लिये एक लाख आठ हजार रूपये व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रूपये 44 हजार 5 सौ तक हो।

• इस योजना में नॉन रिफण्डेबल अनिवार्य फीस एवं अनुरक्षण भत्ता का भुगतान छात्रवृत्ति में दिया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य वचनबद्धता राशि तक राज्य सरकार तथा राज्य वचनबद्धता राशि से उपर का समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मान्यता प्राप्त शिक्षण

संस्थाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

• राज्य की मान्यता प्राप्त निजी, स्वायत्तशासी तथा राज्य से बाहर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिला कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है तथा राजकीय शिक्षण संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वयं शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है, तथा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

• राज्य में संचालित डिग्री स्तर के मेडीकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटरनरी एवं पोलीटेक्निक कॉलेज के अलावा पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर के लॉ, सी.ए, एम.बी.ए., एवं बायो साइन्स कॉलेजों में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु इन कॉलेजों की लाईब्रेरी के लिए इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महंगी पुस्तकें इन वर्गो के विद्यार्थियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।

अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

• भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है तथा योजनान्तर्गत आय सीमा निर्धारित नहीं है। योजनान्तर्गत प्रति वर्ष 65 से 70 हजार के मध्य विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

• अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडी जातियों के पूर्व मैट्रिक छात्र-छात्राओं, जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकर दाता न हों, को शिक्षा विभाग, बीकानेर के माध्यम से देय है। इस योजना का बजट वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

• अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्यवचनबद्धता राशि तक राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य वचनबद्धता राशि से उपर का व्यय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के मध्य 50-50 प्रतिशत के अनुपात में वहन किया जाता है।

• छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिवर्ष तदर्थ सहायता राशि रूपये 500 प्रति छात्र स्वीकृत किये जाते हैं। यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में इस वर्ष किए गए प्रक्रियात्मक सुधार

वर्ष 2009-10 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के प्रकरण तथा छात्रवृति वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, अभाव अभियोगों को न्यूनतम करने व वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के दृष्टिगत निम्नानुसार सुधारात्मक प्रयास किये गये हैं :-

• उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों को वर्ष 2009-10 से संशोधित आवेदन पत्र तथा दिशानिर्देश जारी किये गयें। वर्ष 2009-10 से छात्रवृत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

- छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से वितरित करने के निर्देश दिये गयें हैं।
- सभी जिलाधिकारियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में लक्षित समूह, शिक्षण संस्थानों एवं जिला कार्यालयों के मध्य सम्प्रेषण के अभाव को कम करने हेतु तहसील स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने के निर्देश दिये गये हैं।
- निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन के निर्देश जारी किये गये है तथा भौतिक सत्यापन के पश्चात सही पायी गई संस्थाओं के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति देने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली फीस के पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये है। इससे सभी जिलों में एक समान फीस का पुनर्भरण हो सकेगा।
- छात्र हित को देखते हुये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2010 की गई है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाड़िया-लुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिये भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का संचालन आगामी वर्ष से किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

<u>अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाऐं</u>

- <u>मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाः</u>- यह योजना प्रोफेशनल एवं टेक्निकल शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए 956 विद्यार्थियों के लिए रूपये 241.54 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं, जिन्हें जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
- <u>उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः-</u> यह योजना कक्षा 11 वीं से स्नाकोत्तर शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए 8144 विद्यार्थियों के लिए रूपये 409.61 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुये है, जिन्हें जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
- <u>पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाः-</u> इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

<u>प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु अनुप्रति योजनाएं</u>

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में (प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु रूपये 1.00 लाख तक प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

• राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) में प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों हेतु रूपये 45 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

• अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिये अनुप्रति योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाड़िया-लुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिये भी अनुप्रति योजना का संचालन आगामी वर्ष से प्रस्तावित किया गया है।

संशोधित अनुप्रति योजना संचालन नियम, 2008 :- राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्र-छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं यथा आई.आई.टी, आई.आई.एम., एन.डी.ए. आदि में अध्ययन हेतु प्रवेशोपरान्त रूपये 40 हजार से 50 हजार तक प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अनुप्रति विस्तार योजना संचालन नियम, 2008 :- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) के 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं द्वारा राजकीय मेडीकल/ इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के पश्चात् रूपये 10 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

<u>आवासीय विद्यालय योजना</u>

राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को एक अच्छे एवं स्वस्थ वातावरण में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा KfW जर्मनी के वित्तीय सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है।

वर्तमान में विभाग द्वारा राजस्थान में कुल 14 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 10 विद्यालय KfW जर्मनी के आर्थिक सहयोग से एवं 4 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपने आयोजना मद से निर्मित है।

• 14 आवासीय विद्यालयों में से 2 आवासीय विद्यालय विशेष वर्गों के लिए निम्नानुसार हैः-

(i) हरियाली (जालौर)-निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(ii) मण्डाना (कोटा)-भिक्षावृत्ति व अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय। चालू सत्र में विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक 120 विद्यार्थी क्षमता (प्रति कक्षा 40 छात्र) से संचालित है। आगामी शैक्षिक सत्रों में विद्यालय को प्रतिवर्ष अगली उच्च कक्षा में क्रमोन्नत करते हुए सत्र 2011-12 में कक्षा-10 तक क्रमोन्नत कर विद्यार्थी क्षमता 200 की जानी प्रस्तावित है । वर्तमान में विद्यालय छात्रावास सुविधा मात्र 102 छात्रों के लिए है, जिसका विस्तार करने हेतु अगले वित्त वर्ष में आवष्यक बजट प्रावधान किया गया है ।

• निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु 2 और आवासीय विद्यालय भवन क्रमश: सागवाड़ा (डूँगरपुर) तथा झालावाड़ में निर्माणाधीन है ।

- उक्त विद्यालयों में 7 बालिका एवं 7 बालक आवासीय विद्यालय है।
- सभी विद्यालयों में चालू सत्र अन्तर्गत कुल 5339 बालक/बालिकाऐं लाभान्वित हो रहे है।
- इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा, आवास, भोजन, स्कूल ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।
- विद्यालयों में प्रवेश पूर्व योग्यता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
- इन विद्यालयों में समस्त स्टाफ शिक्षा विभाग (राजस्थान सरकार) से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।
- शैक्षणिक सत्र 2008-09 के दौरान सभी विद्यालयों का औसत परीक्षा परिणाम 91.64% रहा है तथा बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 का परीक्षा परिणाम क्रमशः 88.61% व 98.69% रहा है जो राज्य के अन्य विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की तुलना में तकरीबन 15% अधिक है ।
- राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्त वर्ष में 13 करोड़ से भी अधिक राषि का बजट प्रावधान किया गया है ।

<u>समाज के कमजोर तथा पिछडे वर्गों का आर्थिक विकास</u>

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं विकंलागों के कल्याणार्थ विभाग के अधीन राज्य में तीन निगम स्थापित किये हुऐ हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 22 हजार से अधिक लोगो को 18 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई हैं। उक्त निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगम योजनाओं के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकंलाग एवं सफाई कर्मचारियों को लघु एवं मध्यम ऋण स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही तकनीकी एवं उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड़ वर्ष 2000 से संचालित है। निगम के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को स्वयं के व्यवसाय हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत रूपये 12.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम द्वारा अब तक 4 हजार 3 सौ से अधिक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को व्यवसायिक गतिविधियों एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये दिये जा रहे ऋण की योजनाओं में ब्याज दर पर 2 प्रतिषत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम का गठन किया गया। निगम का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, इसाई बोद्ध एवं पारसी समुदाय के गरीब व्यक्तियों को

स्वरोजगार एवं कार्य दक्षता उन्नयन हेतु 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर कृषि, तकनीकी, व्यवसायिक, हस्तकला एवं यातायात क्षेत्र की स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाये जाते है। वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत राशि रूपये 2 करोड़ 50 लाख के ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यको को व्यवसायिक गतिविधियों एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिये दिये जा रहे ऋण की योजनाओं में या दर पर 2 प्रतिषत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्रों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- निगम द्वारा स्थापना से अब तक 2114 व्यक्तियों को रूपये 997.08 लाख के ऋण उपलब्ध करवाये जा चुके है जिनमें 1894 पुरूष लाभार्थियों को रूपये 913.09 लाख एवं 220 महिला लाभार्थियों को रूपये 83.99 लाख के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

<u>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, के द्वारा किये गये अत्याचार के अन्तर्गत राज्य सरकार पूर्ण रूप से सजग है। दिनांक 16 फरवरी 2010 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति की बैठक का आयोजन कर निर्देश दिये गये कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार/उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित पीड़ित पक्ष को नियमानुसार तत्काल सहायता दी जाये।

वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे पीड़ित 1409 व्यक्तियों को रूपये 2 करोड़ 68 लाख 35 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी। चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 1225 व्यक्तियों को रूपये 2 करोड़ 16 लाख 25 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी है।

<u>टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना</u>

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रकरणों पर त्वरित/प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य स्तरीय हैल्प लाईन हेतु टोल फ्री टेलीफोन संख्या 18001806025 दिनांक 15 जनवरी 2010 से स्थापित किया गया है।

<u>अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु पालनहार योजना</u>

- राज्य में अनाथ बालक/बालिकाओं के लालन-पालन की व्यवस्था संस्थागत न की जाकर परिवार के भीतर ही बालक/बालिका के निकटतम रिश्तेदार/ परिचित व्यक्ति के परिवार में करने

के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

• इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

• योजना का शुभारम्भ अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए किया गया। योजना को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना में सभी जातियों के अनाथ बच्चों के अलावा निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को भी इस योजना के दायरे में ले लिया गया। माह जनवरी, 2010 से विधिवत पुर्नविवाह करने वाली विधवा माता की संतान को भी अनाथ बच्चों की भाँति लाभान्वित करने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है।

• इस योजना में इन अनाथ बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रूपये 1 लाख 20 हजार से अधिक नहीं है, को "पालनहार" बनाया जाकर 15 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक अनाथ बालक/बालिका के लालन-पालन के लिए 5 वर्ष तक की आयु तक रूपये 500 प्रतिमाह, 5 वर्ष की आयु के बाद नियमित अध्ययनरत बालक/बालिका हेतु रूपये 675 प्रतिमाह मासिक अनुदान तथा वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि हेतु रूपये 2 हजार अतिरिक्त वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के तहत अनाथ बालक/बालिका को दो वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी व छः वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है।

• योजना के तहत निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक संतान के लिए मासिक अनुदान दिया जाता है।

• योजना के प्रारम्भिक वर्ष में लाभान्वितों की संख्या 368 थी, जो माह फरवरी, 2010 की समाप्ति तक 30 हजार को पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में योजनान्तर्गत रूपये 22 करोड़ का बजट प्रावधान है।

• आगामी वित्तीय वर्ष से कुष्ठ रोग तथा एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों को भी पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित करना प्रस्तावित किया गया है।

<u>बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान "सहयोग" योजना</u>

• योजना के अन्तर्गत पूर्व में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की पुत्री के विवाह पर राशि रूपये 5 हजार की सहायता तथा समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर राषि रूपये 10 हजार की सहायता प्रदान की जा रही थी।

• वर्तमान सरकार द्वारा योजना का विस्तार करते हुए समस्त बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर एक समान राशि रूपये 10 हजार की गई है। (अधिसूचना दिनांक 07.10.09)

• इसी के साथ ही बी.पी.एल. परिवारों में कन्या शिक्षा को बढावा देने की दृष्टि से 10वीं कक्षा (माध्यमिक षिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर रूपये 5 हजार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राषि

तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर रूपये 10 हजार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

• वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत इस योजना में राषि रूपये 99 लाख 30 हजार व्यय किये गये थे, जिसे बढ़ाकर वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में 700 लाख किया है, जिससे सम्पूर्ण पात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा सकें।

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता योजना

• आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राषि रूपये 10 हजार की सहायता प्रदान की जाती रही है।

• राज्य सरकार द्वारा इस योजना में अधिक से अधिक विधवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पात्रता नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विधवा के व्यस्क पुत्र की आयु 18 वर्ष के स्थान पर व्यस्क कमाऊ पुत्र की आयु 25 वर्ष की गई है।

• इसी के साथ ही विधवा की वार्षिक आय रूपये 12 हजार के स्थान पर रूपये 50 हजार की गई ।

• कोई भी पात्र विधवा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2009-10 में इस योजना हेतु राषि रूपये 3 करोड़ 80 लाख का संशाधित प्रावधान किया है।

निःशक्तजनों का कल्याण

राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत निःषक्तजनों के कल्याण के लिये कृत संकल्प है। राज्य में निःषक्तजनों की जनसंख्या का प्रतिषत 2.49 है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के निःषक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं में अधिक आर्थिक लाभ दिये जाने की घोषणा की है, जिनमें महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्न हैं :-

• संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान :- पात्र निःशक्तजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिये पूर्व में वार्षिक आय सीमा रूपये 9 हजार थी। जिसे बढ़ाकर रूपये 25 हजार किया गया है तथा सहायता राशि रूपये 2 हजार से बढ़ाकर रूपये 5 हजार की गई है।

• विस्वास योजना (विकलांगों को स्वरोजगार हेतु सहायता):- पात्र निःशक्त व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु वार्षिक आय सीमा रूपये 24 हजार के स्थान पर रूपये 50 हजार एवं ऋण सीमा रूपये 50 हजार के स्थान पर रूपये 1 लाख की है। ऋण राशि पर 30 प्रतिशत अनुदान देय है।

• विकलांग विवाह, परिचय सम्मेलनः- निःशक्त युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु पूर्व में देय अनुदान राशि रूपये 20 हजार को बढ़ाकर रूपये 25 हजार प्रति दम्पत्ति किया गया है तथा पात्रता की वार्षिक आय सीमा रूपये 12 हजार से बढ़ाकर रूपये 50 हजार की है।

• स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण व पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण योजना (आयोजना भिन्न मद अन्तर्गत संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु) अन्तर्गत छात्रावासी निःशक्त विद्यार्थियों का मैस भत्ता बजट घोषणा 2009-10 के अनुसार रूपये 725 से बढ़ाकर रूपये 1000 प्रतिमाह प्रति छात्र किया गया है। इस हेतु आवश्यक राशि रूपये 1 लाख 25 हजार का अतिरिक्त प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस वर्ष से योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाया गया है।

• माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशक्तजनों के लाभान्वित किये जाने हेतु प्रदेष में निःशक्तजनों का सर्वे कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं। शहरी क्षेत्र में यह कार्य ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान के दौरान सम्पन्न किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान के दौरान जो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्पन्न किया जायेगा।

• निःशक्तजनों के कल्याण हेतु आगामी वर्ष में निःशक्तजन नीति बनाया जाना प्रस्तावित है।

• आगामी वर्ष से सामान्य श्रेणी के निःशक्त विद्यार्थियों को भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के रूप में फीस का पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है।

• निःशक्त बालक-बालिकाओं हेतु संचालित निजी विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

• वर्तमान में संचालित राज्य के एक मात्र मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र, जयपुर में 230 महिलायें एवं बच्चे रह रहे हैं, जबकि इस केंद्र की क्षमता 75 की ही है। अतः जयपुर एवं जोधपुर में 250-250 की क्षमता के दो पुनर्वास केंद्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

• भरतपुर संभाग मुख्यालय पर रुपये 1 करोड़ 50 लाख की लागत से नारी निकेतन एवं पुनर्वास गृह हेतु भवन निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

<u>पेंशन योजनाएं</u>

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत निम्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है :-

राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा/परित्यक्ता पेंशन नियम, 1974

58 वर्ष से अधिक के पुरूष एवं 55 वर्ष से अधिक की महिला एवं किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता, जो निराश्रित हो, राजस्थान के निवासी हो तथा उनके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या अधिक का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम हो, को इन नियमों के तहत् पेंशन दी जा रही है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं किसी भी आयु की विधवा जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जाकर पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

वर्तमान में दी जा रही प्रतिमाह पेंशन दरें 55 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की महिला को रूपये 200, 58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक के पुरूष को रूपये 100, 65 वर्ष एवं उससे अधिक के पुरूष अथवा महिला को रूपये 400, पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष से कम हों, को रूपये 300, दम्पत्ति में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर रूपये 500, दोनों ही 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों तो उन्हें रूपये 600 तथा किसी भी आयु की विधवा/ परित्यक्ता को रूपये 400 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पेंशन की दरों में आगामी वर्ष से बढ़ोतरी प्रस्तावित की है, जो निम्नानुसार है-

- 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को रूपये 750 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।
- 75 वर्ष से कम आयु के पात्र सभी पेंशनर्स को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।
- वर्तमान में संयुक्त पेंशन के मामलों में विभिन्न दरों पर पेंशन देय है। दरों में बढोतरी एवं इनको सरलीकृत करते हुए अब पति-पत्नी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर रूपये 1 हजार 5 सौ एवं 75 वर्ष से कम होने पर रूपये 1 हजार रूपये की पेंशन देय होगी।
- विधवा पेंशन की दरें भी रूपये 400 से बढ़ाकर रूपये 500 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर रूपये 750 दी जाएगी।

<u>राजस्थान अपाहिज अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965</u>

- राजस्थान के निवासी जो 8 वर्ष से अधिक के हो, निःशक्तता से ग्रसित होने से आजीविका कमाने योग्य न हो तथा जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो और उनका कोई निकटतम सम्बन्धी 25 वर्ष से अधिक का न हो और वह आजीविका कमाने योग्य न हो तो उसे पेंशन देय है।
- पूर्व में इन नियमों के तहत् केवल अपंग एवं अंधे व्यक्तियों को ही पेंशन दी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 9997 दिनांक 08 जनवरी 2010 से उपरोक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य 5 श्रेणियों यथा : कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति ह्ास, मानसिक मन्दता, कम दृष्टि एवं मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है।
- वर्तमान में इन व्यक्तियों का प्रतिव्यक्ति प्रति माह रूपये 400 पेंशन दी जा रही है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में 75 वर्ष तक की आयु के लिए रूपये 500 एवं 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को रूपये 750 प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति पेंशन दिये जाने के प्रस्ताव है।

<u>केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं</u>

राज्य में वर्तमान में निम्न 3 राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं संचालित है :-

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धों को पेंशन दी जा रही है।

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य की विधवा को पेंशन दी जा रही है।

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य के निःशक्तजनों यथा- अंधता, कुष्ठ रोग मुक्त,श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, मानसिक मन्दता, कम दृष्टि एवं मानसिक रूग्णता से ग्रस्त जो बहुनिःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है, को पेंशन दी जा रही है।

उपरोक्त तीनों राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों के लिए केन्द्र सरकार के अंश के रूप में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रूपये 200 प्राप्त होते है।

<u>जनश्री बीमा योजना</u>

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009-10 में योजना से लगभग 26.00 लाख बी.पी.एल. परिवारों और 4684 आस्था कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

<u>योजनान्तर्गत देय लाभ</u>

प्राकृतिक मृत्यु होने पर	रूपये 30 हजार
दुर्घटना मृत्यु होने पर	रूपये 75 हजार
स्थायी अपंगता	रूपये 75 हजार
आंशिक अपंगता	रूपये 37 हजार 5 सौ

इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में रूपये 18.45 करोड़ की राशि प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराई जा चुकी है। योजनान्तर्गत इन परिवारों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को (अधिकतम दो छात्रों को) छात्रवृत्ति 100 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह तिमाही आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

योजनान्तर्गत 14 अगस्त, 2006 से फरवरी, 2010 तक 25 हजार से अधिक मृत्युदावों के भुगतान पर लगभग 78 करोढ़ एवं 2 लाख 70 हजार से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 32 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायत भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

<u>अनुसूचित जाति उप योजना का प्रभावी क्रियान्वयन</u>

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सदन के मध्य में पूर्व में विश्वास दिला चुका हूँ कि इन वर्गों के लिये संचालित कार्यक्रमों हेतु व्यय होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 से पृथक बजट उप शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा जिससे इनके विकास पर व्यय होने वाली राशि सही आंकलन हो सकेगा।

अतः उपरोक्त उपलब्धियों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के कमजोर तथा पिछडे वर्गों के लोग जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके उत्थान हेतु पूर्णतया समर्पित है तथा मैं

विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगामी वर्षों में इन वर्गों के विकास हेतु ठोस योजनाएं संचालित की जा कर इनका अधिकाधिक विकास किया जाएगा।

परिशिष्ट 2

अनुदान की मांग संख्या-7- निर्वाचन के संबंध में माननीय मंत्री श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क) का सदन पटल पर रखा गया जवाब

माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके जवाब उनको व्यक्तिश: पहुंचा दिए जायेंगे। जो प्रस्ताव आये हैं उनमें से कुछ निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं तथा कुछ राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं जिसका प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग है।

राज्य के निर्वाचन विभाग के मुख्य कार्य यथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार करना, इनके पुनरीक्षण का कार्य, मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन कराना है। ये सभी कार्य विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए कराये जाते हैं।

दिनांक 1.1.2009 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य माह जनवरी-फरवरी 2009 में किया गया था। इसके अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 7 जनवरी, 2009 को किया गया था। 148 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 12 फरवरी, 2009 को एवं 52 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों अन्तिम प्रकाशन दिनांक 20 फरवरी, 2009 को किया गया था। अन्तिम प्रकाशन के समय राज्य में कुल मतदाता 3,69,65,121 मतदाता थे। इनमें से पुरुष मतदाता 1,94,75,572 एवं महिला मतदाता 1,74,89,549 थी। इनके अलावा 94,771 सेवा नियोजित मतदाता पंजीकृत थे इस प्रकार राज्य में कुल 3,70,59,892 मतदाता थे। दिनांक 1.1.2010 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोग से कार्यक्रम प्राप्त होने पर कराया जाएगा।

राज्य में लगभग 91 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये हुए। इस समय राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की हुई हैं। करीब 84 प्रतिशत मतदाताओं की फोटो मतदाता सूची में उपलब्ध है। आयोग में निर्देशानुसार इनकी प्रतिशत को और बढ़ाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने हेतु माह मई-जून में पुन: शिविर आयोजित किये जाना प्रस्तावित है। यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निर्वाचन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने पर जो भी व्यय होता है उसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का पचास पचास प्रतिशत हिस्सा होता है। विधान सभा चुनावों पर व्यय शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। लोकसभा चुनाव पर व्यय केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वहन किया जाता है।

माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यतया मतदाता सूची तैयार करना उसमें नाम हटाना या जोड़ना मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं पुनर्गठन, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, निर्वाचनों के संचालन एवं चुनावों की तिथियां निर्धारित करने के संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इनके संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। इनमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इनके संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता।

माननीय सदस्या श्रीमती संजना आगरी का प्रस्ताव संख्या-2, माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत का प्रस्ताव संख्या-3, माननीय सदस्या श्रीमती किरण महेश्वरी का प्रस्ताव संख्या 4, माननीय सदस्य श्री सुंदर लाल का प्रस्ताव संख्या 5, 6 वं 7, माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय सैनी का प्रस्ताव संख्या 8, माननीय सदस्य श्री केसाराम चौधरी का प्रस्ताव संख्या 10, माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया का प्रस्ताव संख्या 11,12,13,14 एवं 15 माननीय सदस्य श्री अमराराम का प्रस्ताव संख्या 18 व 19 माननीय सदस्य श्री सुखराम का प्रस्ताव संख्या 20, माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीणा का प्रस्ताव संख्या 24 व 25, माननीय सदस्य श्री पेमाराम का प्रस्ताव संख्या 31 व 32 माननीय सदस्य डा. फूलचन्द भिण्डा का प्रस्तव संख्या 34 व 35, माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ का प्रस्ताव संख्या 37 व 39 इसी श्रेणी में आते हैं। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है क्योंकि ये विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं।